

योगदा सत्संग महाविद्यालय
राँची – 834004

:सूचना (दिनांक: 25/04/2022):

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक QU/40/171/2022/1023 दिनांक 23/04/2022 के निर्देशानुसार:

- 1 महाविद्यालय की सभी छात्र-छात्राओं को ये निर्देश दिया जाता है कि वे महाविद्यालय परिसर में मास्क का उपयोग अवश्य करें। बिना मास्क में छात्र-छात्राओं का महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है।
- 2 सभी छात्र-छात्राओं को अनुरोध किया जाता है कि वे अपना कोविड टीकाकरण की जानकारी अपने शिक्षकों को अवश्य दें। जो छात्र-छात्राएँ कोविड का टीका नहीं लगवाए हैं उनसे अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द अपना टीका लगवा लें।
- 3 सभी छात्र-छात्राओं महाविद्यालय परिसर में तथा कक्षा में दूरी बना कर रहें।
- 4 सभी छात्र-छात्राओं को अपने साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा।
- 5 सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों को महाविद्यालय परिसर में मास्क का उपयोग अवश्य करें एवं कोविड नियमों का अनुपालन करें।
- 6 सभी संबंधित शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को कोविड-19 का दोनों डोज का टीका लिया होना अनिवार्य होगा।
- 7 किसी प्रकार की परेशानी हो तो घबरायें नहीं और महाविद्यालय कार्यालय में तुरंत सम्पर्क करें।


प्राचार्य